UPPG010009942026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट) एक्ट/गैंगेस्टर एक्ट, प्रतापगढ़।

पीठासीन अधिकारी– अंकिता दुबे , एच 0 जे0 एस 0**– UP–1713**

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–412/2026

जाकिर सुत मो० शकील उर्फ शकील अहमद फारूकी आयु लगभग 21 वर्ष निवासी भुलसा थाना हथिगंवा प्रतापगढ़।

..... **आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

राज्य उ 0 प्र 0 .....**अभियोगी**

मु0 अ 0 सं0–01/2026
धारा–2/3 उ 0 प्र 0 गैंगेस्टर एक्ट
थाना–हथिगंवा, जिला–प्रतापगढ़।

06.03.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **जाकिर** की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या–01/2026, धारा–2/3 उ 0 प्र 0 गैंगेस्टर एक्ट, थाना–हथिगंवा, जिला–प्रतापगढ़ के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त दिनांक–07.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

3. **अभियोजन कथानक** के अनुसार आज दिनांक 01.01.2026 को में प्रभारी निरीक्षक सत्येन्द्र सिंह मय हमराह उ 0 नि0 अजय कुमार, हे० का० संग्राम सिंह, का0 विपिन सारस्वत मय सरकारी गाडी मय चालक हे0 का0 लालबहादुर सिंह के बहवाले रपट 02 समय 00.30 बजे पर थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम व भ्रमण क्षेत्र में मामूर था तो आम जनता एवं सम्भान्त व्यक्तियों से जानकारी मिली मो० जीशान पुत्र मो० असलम फारुकी नि० ग्राम भुलसा थाना हथिगवा जनपद–प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष 2. मो0 आजाद पुत्र मो० रशीद फारुकी नि० ग्राम बछरौली थाना हथिगवा जनपद–प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष 3. जाकीर पुत्र शकील फारुकी नि० ग्राम भुलसा थाना–हथिगवां जनपद–प्रतापग उम्र करीब 20 वर्ष 4. मो0 असरफ उर्फ राजू पुत्र मो० असलम फारुकी निं० ग्राम भुलसा थाना–हथिगवां जनपद–प्रतापग उम्र करीब 32 वर्ष का एक संगठित आपराधिक गिरोह है, इस गैंग का गैगलीडर मो० जीशान पुत्र मो० असलम फारुकी नि० बाम भुलसा थाना हथिगवा जनपद–प्रतापगढ़ तथा 1. मो0 आजाद पुत्र मो० रशीद फारुकी नि० ग्राम बछरौली थाना हथिगवा जनपद–प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष 2. जाकीर पुत्र शकील फारुकी नि० ग्राम भुलसा थाना हथिगवां जनपद–प्रतापग उम्र करीब 20 वर्ष 3. मो0 असरफ उर्फ राजू पुत्र मो० असलम फारुकी नि० ग्राम भुलसा थाना–हथिगवा जनपद–प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष इस गैंग के सक्रिय सदस्य है। इस गैंग का क्षेत्र में इतना भय एवं आतंक व्याप्त है कि जनता का कोई भी व्यक्ति गैंग के क्रियाकला की सूचना पुलिस को देने का साहस नहीं कर पाता है और न ही गैंग के विरुदध न्यायालय में गवाही देने को तैयार होता है। इस गिरोह द्वारा अपने गिरोह के अनुचित, आर्थिक, भौतिक दुनियावी और अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए लूट क हत्या का प्रयास जैसे जघन्य अपराध कारित किया जाता है। इस गिरोह के गैंगलीडर जीशान तथा गैंग के सदस्य 1. जाकीर व 2. आजाद द्वारा दिनांक 22.04.2025 को ग्राम विसहिया थाना–हथिगवां जनपद–प्रतापगढ़ में फूलमती मंदिर नाला के पास समय दोपहर 12.00 बजे वादी मुकदमा मो० इश्तियाक पुत्र मो० अनीस फारुकी नि०ग्रा० भुलसा थाना–हथिगवां जनपद–प्रतापगढ़ को गाली–गलौज किया गया वादी द्वारा गाली देने से मना करने पर जान से मारने की नियत से लाठी–डण्डा से सिर पर मारकर लहुलुहान कर दिया व जानमाल की धमठी देने के पुनः गैंगलीडर मो० जीशान व गैंग के सदस्य मो० आजाद 2. मो असरफ उर्फ राजू द्वारा दिनांक 23.08.25 की रात्रि 01:45 बजे पुलिस पार्टी पर गश्त करते समय जान से मारने की नियत से गोली

Digitally signed by ANKITA DUBEY
Date: 2026.03.04 15:00:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

चलाई गयी, आत्मसुरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा भी फायर किया गया जिससे मो० जीशान के कब्जे से एक अदद तमंचा 12 बोर व कारतूस व मो० आजाद के कब्जे से एवं अदद तमंचा 315 बोर व कारतूस नाजायज व एक मोटर साइकिल अपाचे बरामद हुई व मो० असरफ भी मौके से गिरफ्तार किया गया जिसने सम्बन्ध में दिनांक 23.08.25 को थाना–स्थानीय पर मु0 अ 0 स 0 164/25 धारा 109 (1), 351/3) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किय गया, पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र 152/25 दिनांक 15.10.25 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त के निरंतर आपराधिक कृत्य करते हुये जमानत की शर्तों का घोर उल्लंघन किया जा सकता है, गैंगलीडर व सदस्यों द्वारा आपराधिक कृत्य आर्थिक, भौतिक, दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कारित किया जाता है जिससे लोक व्यवस्था हिन्न–भिन्न हुई है। इस गिरोह द्वारा किया गया अपराध उ 0 प्र 0 गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 2 (ख) की उपधारा 1 व 11 की परिधि में आता है जो उपरोक्त अधिनियम की धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। गैंग के विरुद्ध गैगचार्ट पूर्व में ही श्रीमान जिलामजिस्ट्रेट प्रतापगढ द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

4. **जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार** लिया गया है कि प्रार्थी प्रस्तुत मामले में विल्कुल निर्दोष है जो शांति प्रिय व्यक्ति है तथा विधि का पालन करने वाला है। प्रार्थी को क्षेत्रीय राजनैतिक गुटबंदी के कारण पुलिस के माध्यम से मुकदमे में बिना किसी प्रमाणिक साक्ष्य के अभियुक्त बना दिया गया है। प्रार्थी को मुकदमे में फंसाये जाने की जानकारी होते ही प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण प्रार्थना पत्र देकर अपने को न्यायिक अभिरक्षा मे दिये जाने की प्रार्थना किया और हाजिर होकर न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी के विरूद्ध गैंग चार्ट में दर्शित एक मुकदमाा जिसमे प्रार्थी माननीय सत्र न्यायालय से जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। जमानत आदेश की छाया प्रति संलग्न जमानत प्रार्थना पत्र है। गैंग चार्ट में दर्शित मुकदमा गांव की राजनैतिक प्रधानी के चुनाव की गुटबंदी के कारण असत्य कथनो को दर्शाते हुए विलंब से दर्ज कराया गया था। प्रार्थी के विरूद्ध ऐसी किसी साक्ष्य को पुलिस द्वारा नहीं दर्शित किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि प्रार्थी ने किसी अपराध को कारित करके किसी भी प्रकार का आर्थिक दुनियावी लाभ अर्जित किया है। प्रार्थी के विरूद्ध किसी भी जनता के आदमी के रूप में ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नही कराया गया है जिससे यह प्रमाणित हो कि प्रार्थी का कोई आंतंक समाज के मध्य हो। प्रार्थी के विरूद्ध गैंग चार्ट मे इस बात का भी कोई उल्लेख नही है कि प्रार्थी द्वारा किस अपराध से कितना आर्थिक दुनियावी लाभ अर्जित किया है। प्रार्थी कभी का सजायाप्ता नही है। प्रार्थी के घर पर पर्याप्त मात्रा मे चल व अचल संपत्ति मौजूद है जिससे दौरान मुकदमा उसके पलायन करने की कोई संभावना नही है। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है। अन्त में जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. **आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता** द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में यह कथन किया गया कि अभियुक्तगण किसी संगठित गिरोह का गैंग सदस्य नहीं है। अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष हैं। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियुक्त कभी का सजायाफ्ता नहीं है। अभियुक्त जिला कारागार में दिनांक–07.02.2026 से निरूद्ध है और जमानत दिये जाने का निवेदन किया गया है।

6. **विद्वान विशेष लोक अभियोजक** द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया गया है कि अभियुक्त का एक आपराधिक संगठन है तथा गैंग का सदस्य है। अभियुक्त गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर भौतिक, आर्थिक व दुनियाबी लाभ के लिये अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिल कर वादी मुकदमा को गाली गलौज देने व जान से मारने की नियत से लाठी–डण्डे से मारपीट कर सर पर चोट पहुँचाने और लहूलुहान करने का आरोप है। अभियुक्त मौके से गिरफ्तार किया गया है। गैंग चार्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा जमानत का दुरूपयोग किया गया है। अभियुक्त का यह अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया तो वह पुनः समान प्रकृति का अपराध कारित करेगा। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

7. वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध गैंगचार्ट में एक मुकदमा दर्शाया गया है–

जाकिर

1– मु0 अ 0 सं0 76/2025, धारा 115(2), 352, 351(3), 109(1) बी. एन.एस. थाना हथिगंवा, जनपद प्रतापगढ़।

8. वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध गैंग चार्ट में एक मुकदमा दर्शाया गया हैं तथा अभियुक्त को गिरोह का गैंग सदस्य बताया गया है। अभियुक्त पर अन्य गैंग के सदस्यों के अनुचित भौतिक, आर्थिक,

दुनियावी लाभ हेतु अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिल कर वादी मुकदमा को गाली गलौज देने व जान से मारने की नियत से लाठी–डण्डे से मारपीट कर सर पर चोट पहुँचाने और लहूलुहान करने का आरोप है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त द्वारा उक्त अपराध भौतिक,आर्थिक व दुनियावी लाभ हेतु किया गया हैं। अभियुक्त पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। गैंग चार्ट में वर्णित मुकदमें में जमानत दिया जाना गैंगेस्टर एक्ट में जमानत दिए जाने का कोई आधार नहीं है। ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त को जमानत दिये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धारा–19(4) (B) के अन्तर्गत ऐसा कोई समाधानप्रद तथ्य आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है कि गैंग चार्ट में वर्णित अपराध उसके द्वारा नहीं किया गया है और जमानत पर रिहा किये जाने पर पुनः ऐसा अपराध कारित नहीं किया जायेगा। ऐसी स्थिति में मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **जाकिर** की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या–01/2026, धारा–2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट, थाना–हथिगंवा, जिला–प्रतापगढ़ में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक–06.03.2026

(अंकिता दुबे)
विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट)/
गैंगेस्टर ऐक्ट,प्रतापगढ़।